



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1934 (श०)  
(सं० पटना 103) पटना, मंगलवार, 5 फरवरी 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचनाएं

29 जनवरी 2013

सं० 8 / मु० (कमीशन) -73 / 2012-127—न्यायालय शुल्क, 1870 (1870 का 7) की धारा-27 एवं धारा-34 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार न्यायालय फीस (फैकिंग मशीन द्वारा मुद्रांकों की बिक्री) (संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम 7 के उप-नियम (6) निम्न लिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं :—

“(6) फैकिंग मशीन से न्यायालय फीस स्टाम्पों की बिक्री के लिए जिला स्कोर (DISCORE) को 10% (दस प्रतिशत) कमीशन भुगतेय होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रमा सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

*The 29th January 2013*

No. 8/MU (Commission) -73/2012-127—In exercise of the powers conferred under section 27 and 34 of the Court Fees Act, 1870 (1870 of 7) the Governor of Bihar is pleased to substitute the sub-rule (6) of Rule 7 of the Bihar Court Fees (sale of stamp's by Franking machine) (Amendment) Rules, 2010 by following :—

"(6) 10% (Ten percent) commission shall be payable to the District Score (DISCORE) on sale of court fee stamps by Franking machine".

By order of the Governor of Bihar,

**CHANDRAMA SINGH,**

*Addl. Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 103-571+500-डी०टी०पी०।  
**Website:** <http://egazette.bih.nic.in>